



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 428 राँची, मंगलवार,

8 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

26 जून, 2020

संख्या-5/आरोप-1-70/2014-6214 (HRMS)-- श्रीमती अलका कुमारी, झा0प्र0से0, (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, जिससे NH 33/ रिंग रोड के विस्तारीकरण तथा विभिन्न परियोजनाओं के भू-अर्जन संबंधित कार्य बाधित होने संबंधी आरोप उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक-637, दिनांक 02.07.2010 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इस संबंध में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभाग द्वारा इनके विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये-

आरोप सं0-1. श्रीमती अलका कुमारी, झा0प्र0से0, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा दिनांक 17.06.2010 से 19.06.2010 तक का आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 20.06.2010 को

रविवारीय अवकाश का उपभोग करने का आवेदन फैक्स से भेजकर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें। अवकाश में जाने के पूर्व इनके द्वारा नियंत्री पदाधिकारी से पूर्वानुमति नहीं लिया गया।

आरोप सं0-2. अनधिकृत अवकाश पर जाने के कारण विभिन्न प्रकार के योजना से संबंधित कार्य एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य बाधित हुआ।

आरोप सं0-3. अंचल कार्यालय, सदर का सामान्य रोकड़ पंजी, 2010 तथा दाखिल खारिज पंजी-27 (2010-11) के संधारण में लापरवाही बरती गयी है।

इनका उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है तथा यह सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-5828, दिनांक 28.04.2017 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-219, दिनांक 01.08.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत इनकी तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-114, दिनांक 03.01.2018 द्वारा श्रीमती कुमारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्रीमती कुमारी ने पत्र दिनांक 16.03.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कोई साक्ष्य एवं कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया, अतः समीक्षोपरांत श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-2826(HRMS), दिनांक 29.11.2018 द्वारा तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड इन पर अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा अपने पत्र, दिनांक 25.02.2019 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-635, दिनांक 11.03.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्रीमती कुमारी पर दिनांक 16.02.2010 से 16.06.2010 तक रोकड़ पंजी पर हस्ताक्षर अंकित नहीं करने तथा पंजी संख्या 27 को अद्यतन नहीं करने का आरोप साबित होता है, अतः श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड के स्थान पर दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ALKA KUMARI 20060400006	श्रीमती अलका कुमारी, झा0प्र0से0, (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हजारीबाग द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम - 14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
